<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 61/2012 (राजसमन्द डिकी)</u>

श्री मांगीलाल पिता डूंगा जी कुमावत निवासी मौर्रा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्री नारू पिता जोधा कुमावत निवासी मौरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री बालू पिता जोधा कुमावत निवासी मौरा निवासी मौरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
3. **<u>श्री रामा पिता वेणा कुमावत निवासी मौरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय</u>** :–

   3/1– श्री शंकर पिता रमा जी कुमावत निवासी मौर्रा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

   3/2– श्री मांगीलाल पिता रामा जी कुमाावत निवासी मौर्रा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

   3/3– श्री लेहरू पिता रामा जी कुमावत निवासी मौर्रा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

   3/4– मांगी पिता रामा जी पत्नी देवीलाल जी कुमावत निवासी मऊ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

   3/5– श्री शिवलाल पिता रामा जी कुमावत निवासी मौर्रा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

   3/6– श्री अणछी विधवा रामा जी कुमावत निवासी मौर्रा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री मियाराम पिता तुलछा जी कुमावत निवासी मौर्रा हाल कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. श्री नानालाल पिता मोड़ा कुतावत निवासी मौर्रा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

....

रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा़ दिनांक 02–11–2012 प्रकरण
संख्या 02/2010

————/————

उपस्थित :–1– श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2

3– श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो0 सं. 3/1 से 3/6

4– श्री हेमन्त आमेटा अभिभाषक रेस्पो. सं. 4, 5

————/————

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 22–01–2018</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौर्रा में आराजी संख्या 245 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि है। जिसके साबिक नंबर 375/1 थे। यह आराजी वादी के 1/4, प्रतिवादी संख्या 1, 2 के 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा अंकित है, परन्तु सम्पूर्ण आराजी वादी के कब्जे में है। साबिक आराजी नंबर 375 व वर्तमान 245 सेटलमेन्ट पूर्व वादी के पिता डूंगा की एकल खातेदारी में थी। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व नहीं था, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने त्रुटिपूर्वक उक्त भूमि को डूंगा के चारों भाईयों उदा, तुलछा, वेणा और जोधा के नाम भी शामिल कर दिये। जबकि लच्छा जी के इन चारों पुत्रों का डूंगा जी की जमीन में कोई हक अधिकार नहीं था। अतएव इस भूमि का वादी को एकल खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की और से खण्डन का जवाबदावा पेश किया गया तथा वादी अकेले का कब्जा नहीं होने तथा त्रुटिपूर्वक बड़े भाई डूंगा का नाम अंकित होने के कारण डूंगा की सहमति की 50 वर्ष पूर्व भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उसके भाईयों का नाम दर्ज किया

गया, जिसे अब वादी अस्टोपेल के सिद्धान्त से पुनः विवादित करने का अधिकारी नहीं है। वाद झूंठा है। प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकीयात कायम की गई :–

1. *आया राजस्व ग्राम मौरा की वर्तमान आराजी संख्या 245 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसके साबिक नंबर 375/1 थे वह भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता डूंगा आत्मज लक्ष्मण कुमावत की खातोरी थी लेकिन सेटलमेन्ट वालों ने डूंगा के साथ उदा, तुलछा, वेणा एवं जोधा का नाम अंकित कर दिया जो गलत है? .... वादी*
2. *आया प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भमि के खातेदार हो चुके है? .... प्रतिवादी सं.1, 2*
3. *आया वादग्रस्त भूमियां पेतृक होने व अकेले डूंगा के नाम हो जाने से डूंगा ने सहमति पूर्वक प्रतिवादीगण के नाम अंकन करवा दिया। ....प्रतिवादी सं. 1, 2*
4. *अनुतोष*

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 22–11–2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–12–2012 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 की और से अधिवक्ता श्री हेमन्त आमेटा ने उपस्थिति दी। परन्तु बहस में भाग नहीं लिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री एस.एस. पालीवाल ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

सेटलमेन्ट विभाग की अनाधिकृत एवं असक्षम आदेश उपलब्ध होते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है तथा डूंगा की सहमति थी ही नहीं, परन्तु यदि सहमति हो तो भी विधि विरूद्ध सहमति से अधिकार सृजित नहीं होते।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 का निर्णय करते समय भू–प्रबन्ध विभाग की सक्षमता विरूद्ध आदेश तथा सहमति से विधि असंगत आदेशों की तथ्यों पर कोई विवेचन नहीं कर मात्र भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन में डूंगा की सहमति को प्रमुख वजन दिया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर R.R.T 2001 (1)(H C) पेज 244 तथा R.R.T 2008 (1)(H C) पेज 151 अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग को प्रविष्टियां दोहराने के अतिरिक्त हक अधिकारों का अधिकार नहीं हे। अधिनस्थ न्यायालय द्वार उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांतों के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों को विधि के परिपेक्ष में विवेक सम्मत विचारण किये बिना निर्णय पारित किया है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 2–11–2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखकर पुनः सुनकर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)	बनाम	**1– बाबूसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0) अन्य–26 व सरकार**

अपील नं0 **22 / 2012** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** .... **कुम्भलगढ़**.............. मुकाम मुर्क्खे........**12**.........माह.........**01**....... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**12**....... माह ......**12**.......... सन् **2017**...... रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अतुल पालीवाल**.............................. मिनजानिब अपीलान्ट व ....**राजकीय अधिवक्ता**............... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–1–2012 यथावत रखा जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**12**...... माह ...**12**........ **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।